

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी, 3/1, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 13 ()मु./अनु.कोचिंग/पोर्टल/सान्याअवि/21/35645-86 जयपुर, दिनांक : 17/6/2025

संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/
जिला परीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
..... (समस्त)

विषय : मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत सत्र 2024-25 हेतु तृतीय चरण की जारी मैरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों को कोचिंग संस्थाओं में ज्वॉईन करवाये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत सत्र 2024-25 हेतु विभाग द्वारा सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं में निःशुल्क कोचिंग किये जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रोविजनल मैरिट सूची जारी कर विभागीय जिलाधिकारियों से अभ्यर्थियों की पात्रता एवं उनके आवेदन में अपलोड किये गये दस्तावेजों के सत्यापन/जॉच उपरान्त जिलाधिकारियों द्वारा अनुमोदित किये गये आवेदन पत्रों के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की मैरिट सूची जारी की गई थी। उक्त मैरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों में से कोचिंग संस्थाओं में ज्वॉईन नहीं किये जाने के कारण रिक्त रही सीटों के लिए प्रथम एवं द्वितीय चरण की मैरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कोचिंग संस्थाओं में ज्वॉईन नहीं किये जाने एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र अपूर्ण थे लेकिन अभी तक उनको कोई कोचिंग संस्थान आवंटित नहीं हुई उन अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए सत्र 2024-25 हेतु तृतीय चरण की मैरिट सूची जारी की गई है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आवश्यकतानुसार आपके अधीन कार्यरत कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाकर उस मूलनिवास वाले जिले के तृतीय चरण की जारी मैरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों से दूरभाष पर सम्पर्क करवाकर सम्बधित

Signature valid



Digitally signed by Bachanesh
Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.06.16 20:42:27 IST
Reason: Approved

अभ्यर्थियों को आवंटित कोचिंग संस्थानों में दिनांक 25.06.2025 तक ज्वॉईन किये जाने हेतु प्रोत्साहित करावें एवं प्रतिदिन ज्वॉईन करवाये गये अभ्यर्थियों की कोचिंगवार सूचना छात्रवृत्ति प्रशाखा की ई-गेल पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही अभ्यर्थियों को यह भी आवश्यक रूप से अवगत करवाया जावे कि "मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संशोधित नवीनतम विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया क्रमांक 21178 दिनांक 15.11.2024 के बिन्दु संख्या 12 के उपबिन्दु 'सी' के प्रावधानुसार मुख्य मैरिट सूची के अभ्यर्थियों को 10 दिवस के भीतर कोचिंग संस्थान में ज्वॉईन किये जाने का अवसर दिया जावेगा। यदि किन्हीं कारणों से मुख्य सूची के विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में ज्वॉईन नहीं किया जाता है तो कोचिंग संस्थान में सम्बन्धित सत्र में ज्वॉईन नहीं किया जा सकेगा।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ 13 ()मु./अनु.कोचिंग/पोर्टल/सान्याअवि/21/ 35687-30 जयपुर, दिनांक : 17/6/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि तृतीय चरण की जारी मैरिट सूची में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को यह सूचना सुलभ रूप से प्राप्त हो सके कि उनको आवंटित कोचिंग संस्थान में उनके द्वारा यदि दिनांक 25.06.2025 तक ज्वॉईन नहीं किया जाता है तो कोचिंग संस्थान में सम्बन्धित सत्र में ज्वॉईन नहीं किया जा सकेगा।
4. निदेशक/प्रबंधक/अध्यक्ष..... (सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान) को भेजकर लेख है कि आपकी कोचिंग संस्थान को तृतीय चरण की मैरिट सूची में आवंटित अभ्यर्थियों से सम्पर्क कर दिनांक 25.06.2025 तक ज्वॉईन करवाया जाना सुनिश्चित करावें, ताकि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत शत प्रतिशत सीटों को भरा जा सके।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.06.16 20:42:27 IST
Reason: Approved